us'kuylhM~IdkWjiksjs'kufyfeVsM
¼Hkkjr ljdkjdkmiØey?kqjRu daiuh½
"An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company"
dsUnzh; jkT; QkeZ] lwjrx<+
ftykJhxaxkuxj ¼jkt-½
Qksu% 01509&223873
bZ&esy %ago.csfsuratgarh@gmail.com

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking Miniratna Company)
"An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company"
CENTRAL STATE FARM, SURATGARH
Distt:- SriGanganagar
Phone : 01509-223873

सी.एस.एफ./2–65/कृषि/Vol.-II/2020–21/ दिनॉक :– 06.07.2020..

अल्पकालीन खुली निविदा सूचना

केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.) में वर्ष 2020–2021 में किये जाने वाले कृषि कार्य करने हेतु सीलबंन्द निविदायें **दिनांक 21-07-2020 को दोपहर** 1.00 **बजे** तक आमत्रित की जाती है जो कि दोपहर 2.30 बजे खोली जायेगी। **धरोहर राशि रूपये** 10000/– और निविदा फार्म राशि रू.118/– मात्र का डी. डी. प्रत्येक चक के लिए जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड सूरतगढ के नाम देय हो, जमा कराना होगा। निविदा प्रपत्र एवम् कार्य के नियम व शर्तें निगम की वेब साईट www.indiaseeds.com से भी डाउनलोड की जा सकती है । निविदादाता को पेन नं. व स्थाई पते की प्रति देनी होगी। निविदा के नियम एवं शर्तो की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती हैं।

प्रबन्धक (उत्पादन)
कृते निदेशक

<u>कृषि कार्यों को करने के लिए नियम व शर्ते</u>

निविदादाता/बोलीदाता को रूपये 10000/- मात्र प्रत्येक चक का डीडी जो कि **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़** में धरोहर राशि के रूप में जमा कराने होगे जो कि कार्य सन्तोषजनक ढ़ग से पूरा होने के बाद बिना व्याज के लौटा दी जायेगी ।

1. <u>खालों की डिसिल्टिंग करना व घास निकालना व पटरी की सफाई करना।</u>
1. फावडों का इन्तजाम स्वंय ठेकेदार को करना होगा ।
2. खालों की सफाई दोनों किनारों की पटरी सहित सफाई करके घास तथा मिटटी खाले से बाहर डालनी होगी खाले के अन्दर की मिटटी निकालने का कार्य खेतो के लेवल के अनुसार करना होगा ।
3. खाले के अन्दर की मिट्टी को बट पर डालनी होगी तथा लेवल करना होगा व व पटरी की सफाई भी करनी होगी।

2. <u>पलेवा व पानी लगाना / सिंचाई करना ।</u>
1. फावडों का इन्तजाम स्वंय ठेकेदार को करना होगा ।
2. फसलों में बटों की मरम्मत स्वंय करनी होगी तथा प्रत्येक पटरे के कट बंद करके पानी अलग-अलग पटरे वाईज लगाना होगा।
3. सिंचाई करते समय क्यारियों के उस भाग का ध्यान रखना होगा जिससे पानी वहॉ पहुॅच सके व जहॉ कही भी आवश्यक होगा वहॉ ऊॅची टिकरियों पर पानी हत्थे द्वारा उठाकर फेंकना होगा । बुवाई के बाद फार्म ट्रैक्टर से डाली गयी बट के कट को जोडना।

3. <u>यूरिया खाद , डी.ए.पी. व जिप्सम का छिडकाव करना।</u>
1. खाद की मात्रा चक प्रभारी से पूछ कर प्रति एकड के हिसाब से क्रोसिंग में दो बार में छिडकनी होगी ।
2. खाद छिडकते समय फसल का कोई भी हिस्सा नही छूटना चाहिए जिससे खाद सामान मात्रा में हर जगह पड सके ।
3. खाद छिडकनें के लिए फार्म के प्लासटिक के थैलों की झोलियां स्वंय ठेकेदार को बनानी होगी।

4. <u>फसलों में कीटनाशक व खरपतवार नाशक का स्प्रे व डसटिंग करना</u>
1. स्प्रे करनें वाले श्रमिकों को अपने हाथ से व पीठ पर लादकर चलने वाली मशीन का इन्तजाम स्वंय करना होगा ।
2. स्प्रे व डसटिंग करनें के लिए मुरब्बा नम्बर, दवाई व पानी की मात्रा चक प्रभारी से पूछकर करनी होगी ।
3. एक ही जगह पर ज्यादा मात्रा में खाद एवं दवाई छिडकनें पर यदि फसल को किसी प्रकार का नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई के लिए अधिकारियों की कमेटी जो भी निर्णय करेगी उसकी रकम ठेकेदार के बिल से काट ली जायेगी ।
4. दवा के दुरुपयोग व चोरी के लिए ठेकेदार स्वंय जिम्मेवार होगा तथा हरजाने की रकम ठेकेदार के बिल से काट ली जायेगी ।

5. <u>फसलों में रोगिंग करना</u>।
1. रोगिंग के समय फसल से अवांछित पौधे उखाडनें होंगे व उन्हे चक प्रभारी के आदेशानुसार रखना होगा ।
2. कार्य चक प्रभारी से पूछ कर करना होगा ।

6. <u>चना, उरद, मूॅग, ग्वार आदि फसलों में कसोलो द्वारा गुडाई करना।</u>
1. मजदूरों व कसोलो का इन्तजाम स्वंय ठेकेदार को करना होगा ।
2. फसल की सारी घास अच्छी तरह निकालनी होगी।

7. <u>चना, उरद व मूॅग या अन्य फसलों में हल से गुड़ाई करना।</u>
1. ठेकेदार को हल का इन्तजाम स्वयं करना होगा।
2. गुड़ाई के समय फसल में किस प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए।
3. कार्य सही व समय पर पूरा करना होगा। यदि किसी प्रकार का नुकसान हुआ तो उसके बिल से कटौती की जायेगी।

8. <u>चना, धान व अन्य फसलों का उत्पादन विनोईग सेन्टर पर सुखाना।</u>
1. चना, धान व अन्य फसलों के उत्पादन को सुखाने के लिए मजदूरों का इन्तजाम स्वंय ठेकेदार को करना होगा ताकि उत्पादन की नमी या बथुआ आदि से किसी प्रकार का नुकसान न हो ।
2. मौसम खराब होनें पर चना, धान व अन्य उत्पादन के ढेर बनाकर उन्हे तिरपाल द्वारा ढकना।

9. बिजाई हेतु बीज उपचारित करना।

बिजाई के समय खरीफ व रबी फसलों की बिजाई के लिए बीज उपचारित करने के लिए पर्याप्त श्रमिक लगाने होगे तथा बीज उपचारित करते समय किसी श्रमिक को दवा का असर होने पर उसका ईलाज आदि कराना ठेकेदार की जिम्मेवारी होगी। फार्म इसके लिए कतई जिम्मेवार नहीं होगा।

10. बीज, खाद फार्म वाहन में लादना व उतारना।

बिजाई के समय बीज व खाद को फार्म वाहन में लादने व उतारने के लिए ठेकेदार को पर्याप्त श्रमिक लगाने होगे तथा खाद भी आवश्यकतानुसार लोड अनलोड करना होगा।

11. धान की नर्सरी आदि डालना।

धान की नर्सरी की क्यारियों में बीज मापदण्ड के अनुसार बीज का छिड़काव करना होगा। एक ही जगह पर ज्याद मात्रा में बीज छिडकने से जो भी क्षति होगी वह ठेकेदार के बिल से काट ली जायेगी।

12. धान की नर्सरी उखाडना व धान लगाना।

1. धान की नर्सरी ठेकेदार द्वारा उखाडना तथा व उन्हें चक प्रभारी के बताये गये तुरब्बों में लगाना
2. प्रति स्कायर मीटर में 30 पौधों से कम पौधे होनें पर ठेकेदार के बिल से कटौती काट ली जायेगी ।
3. पर्याप्त मात्रा में मजदूरों का इन्तजाम ठेकेदार को करना होगा ताकि धान समय पर लगाया जा सके।

13. धान से घास निकालना।

1. घास अच्छी तरह जड से निकालनी होगी ।
2. घास को दरांती से नहीं काटे क्योंकि दरांती से कटा हुआ घास पुनः हो जाता है। घास को जड से न निकालने एवं दरांती से काटने पर उसके बिल से कटौती की जायेगी ।
3. कार्य सही व समय पर पूरा करना होगा।

14. उडद, मूँग व ग्वार आदि की कटाई करना।

उडद, मूँग व ग्वार आदि फसलों की कटाई के लिए पर्याप्त श्रमिक, दरांती आदि की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी तथा कटाई के बाद फसल इक्कट्ठा करना, कम्बाईन में झुकाई करना तथा खलिहान साफ करना होगा। थ्रैसिंग के समय यदि किसी श्रमिक के साथ कोई दुर्घटना होने पर ठेकेदार की पूर्ण जिम्मेवारी होगी।

15. फील्ड से गिरे पेड/लकडी विनाईंग सेन्टर पर लगाना।

1. पेड/लकडी की कटाई के लिए के मजदूरों का इन्तजाम ठेकेदार को करना होगा।
2. लकडी ढुलाई के लिए श्रमिक व वाहन ठेकेदार के होंगे ।
3. लकडी फील्ड में लादना व विनाईंग सेन्टर पर उतारना इसके लिए क्षमिक ठेकेदार के होगें।
4. जलाऊ व इमारती लकड़ी को अलग–अलग लाना होगा तथा खलिहान पर उतारते समय भी इमारती व जलाऊ लकड़ी का ढ़ेर अलग–अलग लगाना होगा।

16. बिजाई से छूटे हुए कोनों की कस्सी से गुडाई करना तथा बिजाई करना।

1. जुताई के समय छूटे हुए ऐरिया की गुड़ाई कस्सी से ठेकेदार को करनी होगी।

17. फसल बिजाई के समय सीड ड्रील पर बिजाई करवाना।

1. बीजाई के समय फार्म की सीड ड्रील से बीजाई करवाना।

18. फसलों में डसटिंग करते समय माउण्टेड ट्रैक्टर पर श्रमिक लगाना।

1. डसटिंग करने के लिए मुरब्बा नम्बर, दवाई व पानी की मात्रा चक प्रभारी से पूछकर करनी होगी।
2. एक ही जगह पर ज्यादा मात्रा में दवाई छिड़कनें पर यदि फसल को किसी प्रकार का नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई के लिए अधिकारियों की कमेटी जो भी निर्णय करेगी उसकी रकम ठेकेदार के बिल से काट ली जायेगी।

3. दवा के दुरूपयोग व चोरी के लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा तथा हरजाने की रकम ठेकेदार के बिल से काट ली जायेगी।

19. <u>कटाई के समय कम्बाईन से छूटे हुए क्षेत्र की कटाई/मोपिंग करना व बैकर अनलोड करना।</u>

1. कटाई के समय कम्बाईन से छूटे हुए क्षेत्र की कटाई करने के लिए ठेकेदार को जरूरत के मुताबित श्रमिक लगाकर कार्य कटाई के साथ–साथ कराना होगा। मोपिंग की फसल को फार्म कम्बाईन में झुकाई कर थ्रैसिंग करनी होगी।
2. बंकर भरने पर फार्म वाहन में उत्पादन अनलोड करना होगा।

20. <u>खण्ड–तीन में बनी हुई डिग्गी से सिंचाई का करना।</u>

फव्वारों से पानी लगाने के लिये मजदूर, फावड़े आदि ठेकेदार के होगें तथा पानी सुचारू रूप से लगाना होगा।

21. <u>कपास व धान में बट बनाना।</u>

1. फावडों का इन्तजाम स्वंय ठेकेदार को करना होगा ।
2. कपास व धान की बटों को अच्छी तरह से मजबूत बनाना होगा।

22. <u>अन्य बकाया कार्यो के संबंध में :–</u>

उपरोक्त कार्यो के अलावा जो भी कार्य करवाया जायेगा जो कि निविदा में दिया गया है वह खण्ड प्रभारियों/चक प्रभारियों के दिशा निदेशानुसार करना होगा।

23. उपरोक्त सभी कार्यों के दौरान यदि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेवारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी।

24. सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा आवंटित कार्य को समय से पूरा न करने पर फार्म द्वारा कार्य को पूरा कराने पर किये गये श्रमिक मद पर अतिरिक्त खर्च के भुगतान की भरपाई ठेकेदार के बिल/धरोहर राशि/सिक्योरिटी बिल से कर लिया जायेगा।

25. उपरोक्त कार्यो में से सभी या आंशिक रूप में कोई भी कार्य स्वीकृत करने या रद्द करने का अधिकार फार्म निदेशक को होगा।

26. सफल बोलीदाता को ठेके के सम्बन्ध में एक समझौता (एग्रीमेन्ट) रूपये 500/– के स्टाम्प पेपर जो ठेकेदार द्वारा खरीदा जायेगा, पर करना होगा ।

27. यदि उपरोक्त अनुबन्ध/करार के किसी उपबन्ध से कोई विवाद पक्षकारान के मध्य उत्पन्न होता है तो उस दशा में प्रकरण निगम के सह–प्रबन्ध–निदेशक को संदर्भित किया जायेगा जिसको यह अधिकार होगा कि वह स्वयं या अपने द्वारा नामित एकल विवेचक (सोल आर्वीटेटर) के द्वारा विवाद का निवटारा आर्बीटेशन एवं कानसिलिऐशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत कराए । पक्षकारान पर यह बाध्यकारी होगी कि उक्त दशा में न्यायालय जाने से पहले आर्बीटेशन द्वारा अपने विवादों का समाधान करें ।

क.स.	कार्य का विवरण	चक	दर
1	खाले की सफाई करना		
क	खाले की सफाई करना व घास निकालना। **प्रति मीटर की दर से।**		
ख	खाले की डिसल्टिंग करना। **प्रति मीटर की दर से।**		
ग	मुख्य खाले की दोनों तरफ की पटरी बनाना, समतल करना, झीड़ियां काटना । **प्रति मीटर**		
2	**अ) फसलों के लिए पलेवा करना व प्रथम सिंचाई करना, प्रति एकड़ की दर ।** खण्ड– 1 खण्ड– 3 व पीबीएन–खण्ड– 2 आरपीएम.खण्ड– 2		
	ब) द्वितीय व बाद की सिचाई करना दर प्रति एकड़। खण्ड–1 खण्ड 3 व पीबीएन–खण्ड 2 आरपीएम–खण्ड 2		
3	मुरब्बों में कपास व धान में बट कसना। **प्रति मीटर की दर से ।**		
4	यूरिया खाद, डी0ए0पी0 व जिप्सम का छिड़काव फार्म के ट्रेक्टर मशीन द्वारा करना **प्रति एकड़ की दर** से।..................तथा ठेकेदार द्वारा करना **प्रति एकड**.......		
5	फसलों में कीट नाशक दवाओं का छिडकाव् करना, **दर प्रति एकड़**		
6	फसलों में रोगिंग करना, सिंचित ....व असिंचित ....**प्रति एकड़ की दर से ।**		
7	उड़द, मूंग चना व अन्य फसलों में कसोलों से गुड़ाई करना, ज्यादा घास मध्यम घास व कम घास की **प्रति एकड़ की दर से।** (श्रेणी– **A, B, C**)		
	खरीफ/रबी फसलों की उटहल से गुडाई दर **प्रति एकड़ में**		
	खरीफ/रबी फसलों इंटरकल्चर Spike Teeth से करना । **प्रति एकड़ की दर से।**		
	फार्म टैक्ट्रर से चनें की गुडाई करने के लिए टैक्ट्रर के पीछे दुफाली व त्रिफाली पकडने के लिए ठेके के आदमी **दर प्रति एकड़ से।**		
	सॉवल अथवा नाईफ टाईप कल्टीवेटर सिंगल फाली द्वारा फसलों में इंटरकल्चर। **प्रति एकड़ की दर से।**		
8	धान की नर्सरी के लिए क्यारियां बनाना, बट बनाना, समतल करना, पानी में पाटा चलाना, धान की नर्सरी के लिए बीज डालना प्रति एकड़ की दर से............ ...... व मशीन से रोपाई के लिए पौध तैयार करना **प्रति एकड़ की दर से।**		
	धान की नार्सरी उखाड़ना व धान लगाना, एक स्क्वायर मीटर में करीब 30 पौधो से कम न हो। **प्रति एकड़ की दर (फार्म वाहन इस्तेमाल व ठेकेदार द्वारा स्वयं का वाहन इस्तेमाल) से।**		
	धान की रोपाई से पूर्व में मुरब्बों से झाग/कचरा को बाहर निकालना। **दर प्रति एकड़**		
	धान में घास निकालना ज्यादा घास, मध्यम घास व कम घास, **प्रति एकड़ की दर से।**		
9	फार्म क्षैत्र में सूखें व गिरें हुए पेड़ो को काट–छांटकर अपने वाहन (ठेकेदार के) से विनोईग सेन्टर पर लाना, जलाऊ व इमारती लकड़ी अलग–अलग ढ़ेरों में उतारना। प्रति क्विटल की दर से।		
10	बथुआ में सें चना की दाल चूरी की सफाई करना **प्रति क्विटल की दर से।**		
	चनें की फसल में बथुआ की कटाई **दर प्रति एकड़ में।**		
11	खलियान से आये हुए चने(पोड) की थ्रेसिंग थ्रेसर (ठेकेदार के) से करना **प्रति क्विटल की दर से।**		

12	फसल की बिजाई के समय सीड ड्रील पर बिजाई करवाना तथा छूटे हुये कोनों की बिजाई बीजोपचार सहित करना। व बिना बीजोपचार सहित.दर प्रति एकड़ के आधार पर।		
13	फसलों में स्प्रै करते समय ट्रैक्टर से जुड़े जैक्टो स्प्रेयर में पानी व दवा डालकर छिडकाव करना व फसलों के स्प्रै करते समय ट्रैक्टर से जुडे माउण्टेड स्प्रैयर पानी व दवा डालकर छिड़काव करवाना।		
	(क) प्राईवेट ट्रैक्टर से बाहर से स्प्रे करना मजदूर सहित – **दर प्रति एकड**		
	(ख) प्राईवेट ट्रैक्टर से खेत के अंदर, मजदूर सहित स्प्रे करना– **दर प्रति एकड**		
	(ग) फार्म ट्रैक्टर से खेत के बाहर, मजदूर सहित स्प्रे करना – **दर प्रति एकड**		
14	कटाई के समय कम्बाईन से छूटे हुए क्षेत्र की कटाई/मोपिंग करना..........40............. व बैकर अनलोड करना ....10...........। **दर प्रति एकड़।**		
15	खण्ड 3 में डिग्गी में पानी भरना तथा फव्वारों से सिंचाई करना। **दर प्रति एकड़।**		
16	खड़े पेड़ों की सिंगलिंग करना, **दर प्रति पेड–**		
17	खड़ें पेड़ों में पत्ती लगना, गर्थ नापना व नम्बरिंग करना।		
18	फसलों में काचर बेल निकालना दर प्रति एकड–ए श्रेणी............बी श्रेणी............सी श्रेणी......		
19	फार्म टैक्ट्रर स्प्रेयर फसलों में स्प्रे के श्रमिक उपलब्ध कराना। **दर प्रति एकड़**		
20	फसलों में अपनें श्रमिक द्वारा 16 लीटर की अपनी ढोलकी द्वारा स्प्रे करना । **दर प्रति ढोलकी**		
21	छोटी/बडी पल्ली खाली कटटो/बोरी के आधार पर सिलाई करके तैयार करना। **दर प्रति कटटा/बोरी**		
22	बाजरा व अन्य फसलों से चिडिया को उडाना। **दर प्रतिएकड़/प्रतिदिन**		
23	फसलों मे से विशेषकर Low Line Area मे से पानी को Drain out करना । **दर प्रति एकड़**		
24	कट व साइफनों को बोरी द्वारा बंद करना । **दर प्रति बोरी**		
25	चको पर वाहनों के आनें जाने वाले के रास्तें की 4 इंच से पतली झाड़ियों की सफाई कार्य। **दर प्रति मीटर**		

ठेकेदार के हस्ताक्षर

नाम ....

पता ....

....

मोबाइल न0..